मुन्तकिली प्रकरण सं0 61/2016 अनवानी 1—रामचन्द्र पुत्र हरसुखराम जाति धोबी निवासी वार्ड न0 26 सूरतगढ बनाम 1—तोलाराम पुत्र रेवन्त राम जाति नायक निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ 2—राजेन्द्र सिंह 3—अरूण कुमार 4—दशरथ 5—सुभाष 6—तहसीलदार सूरतगढ़ 7—भूपेन्द्र 8—उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.08.2016

प्रार्थी रामचन्द्र के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी उपस्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 1—3—4—5 के अभिभाषक श्री दौलतराम पारीक उपस्थित नही है और न ही अप्रर्थीगण 2 व 7 उपस्थित हैं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र रामचन्द्र पुत्र हरसुखराम के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ एवंम अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 7 के विरूद्ध धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश करके प्रार्थना की है कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायलय में लबिंत वाद संख्या 32/2013 अनवानी तोलाराम बनाम रामचन्द्र आदि मय प्रा0 पत्र धारा 212 आर टी एक्ट में निष्पक्ष न्याय मिलने की उसे संभावना नही है इसलिए उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायलय से किसी अन्यत्र सक्षम न्यायलय में मुन्तकिल किया जावे।

चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को अब सूरतगढ से अन्यत्र स्थान पर लगाया जा चुका है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

चूंकि अब यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

1576
9-9-16

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.08.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर